न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं.-55/18 दिलेसिंह v/s इन्द्रसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/1	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पक्षकार। पीठासीन अधिकारी पत्रावली [illegible] बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 5.2.19 को पेश हो।	
5.2.19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी [illegible] आये। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण के [illegible] पर [illegible] विस्तृत फैसला पृथक से पारित किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार हो। नक्ल [illegible] की जाकर मुतअल्लिक के साथ [illegible] की जावे। खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

र्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी,छोटीसादड़ी (राज.)

प्रकरण : 55/18

दायर तारीख 16.10.201

उनवान

शिवेन्द्र सिंह पिता रतन सिंह राजपुत निवासी हडमतिया जागीर व वगैरह

प्रा

बनाम

नसिंह पिता नाथुसिह जाति राजपुत निवासी हडमतिया जागीर।

किन कुमार पिता शकर लाल जाति जणवा निवासी हडमतिया जागीर।

अप्रार्थीग

निर्णय

दिनांक : 05.02.1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट 1955

उपस्थिति

न अभिभाषक

ुलाल पालीवाल (प्रार्थीगण)

चन्द्र नाहर (अप्रार्थीगण 01)

र मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है :– मोजा हडमतिया जागीर पटवार हल्का बम्बोरी तहसील
डी मे अराजी नं. 79, 156, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 678, 722 कुल किता 10 रकबा 11.82 हैक
पैतृक होकर इसमें प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है पुर्व के प्रकरण में मा. न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1
अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला पाबंद किया गया था। जिसकी अपील, निगरानी मा. न्याया. राजस्व अपील
चितौड़गढ़, मा. राजस्व मण्डल अजमेर एवं मा. उच्च न्याया. जोधपुर द्वारा खारिज कर दी गई। मा.
ारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.01.11 में पुराने आराजी न. 103/02 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिसके
ी न. 166, 167 सहवंन से रह गये। अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी न0 166 रकबा 0.45 हेक0 मे से 0.25
ी अप्रार्थी संख्या 02 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया। जबकि इसका विधिवत् बंटवारा
है। अप्रार्थी संख्या 02 अविभाजित आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। अतः प्रकरण प्रथम

उपखण्ड अधिक
छोटीसादड़ी

या प्रार्थी के पक्ष मे होकर सुविधा संतुलन व अपुरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को सला मुलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द किया जावे।

हमने बहस विद्वान अधिक्तागण उभयपक्षकारान की सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में ना पत्र में अंकित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया की प्रश्नगत आराजी पैतृक होने से प्रार्थी का हक सा निहित है। अतः प्रश्नगत आराजी 166,167 पर विरूद्ध अप्रार्थीगण 1व 2 अस्थाई निषेधाज्ञा फरमायी जावे।

प्रतिकार में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी पैतृक नही है। इसका सला 14.06.68 को ही हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावे। थ ही विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने कथन किया कि हमने खसरा नम्बर 166 में 0.25 हे0 आराजी रिये रजिस्टर्ड बयनामा कय की है तथा हम कय की गई आराजी रिकोर्ड खातेदार है। इसलिए प्रार्थी को हमारे रूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन कर अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्तागण भयपक्षकारान पर मनन किया। प्रश्नगत आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज है परन्तु प्रश्नगत आराजी के पैतृक ने में कोई संशय नही है। प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से प्रश्नगत आराजीयात का खुर्द बुर्द विकय किया जाना पष्ट होता है। पक्षकारों के मध्य घोषणा व विभाजन का वाद न्यायालय हाजा में लंबित है। जिसके निर्णय से पुर्व प्रश्नगत आराजीयात का अंतरण किये जाने से वाद की बहुलता बढेगी जिसकों न्याय हित में रोका जाना आवश्यक है। मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने से आरटी एक्ट की धारा 212 की अन्य शर्तो का अवलम्बन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रश्नगत आराजी खसरा न0 166, 167 पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मुलवाद पांबन्द किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी पर जबरन कब्जा ना करे और ना ही अन्य से करावे तथा राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति रखी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मुलवाद के साथ नत्थी की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

05.2.14

प्रकाश चन्द्र (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी
जिला प्रतापगढ।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी – प्रतापगढ़